एल.ई.डी. (साईज 6’×8’)माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक 1039 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/07/2023

//निविदा आमंत्रण सूचना//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 2,360/–(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 5,00,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री बिड की तिथि	दिनांक 24/07/2023 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 4:00 बजे अपरान्ह

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक /छ.ग.सं./प्रका. /2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023

एल.ई.डी (साईज 6'×8')माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा एल.ई.डी (साईज 6'×8')माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 2,360/–(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 5,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्रि–बिड मीटिंग	दिनांक 24/07/2023 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 22/08/2023 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर(छ.ग)

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–2512580, 81
Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

नियम एवं शर्तें

एल.ई.डी (साईज 6'×8')माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट के लिए नियम एवं शर्तें

(1) छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों का जनजागरुकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

(2) उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :–

2.1 एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का हाटबाजार/ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार किया जाना है।

2.2 प्रति कार्यक्रम की अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी।

2.3 कार्यक्रम कें दौरान कार्ययोजना के मुताबिक प्रत्येक कार्यक्रम में शासन की जनकल्यानकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी संबंधित कम से कम 300 नग ब्रोशर, पाम्पलेट आदि प्रचार सामग्री आम नागरिकों को वितरण करना होगा। प्रचार सामग्री छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निविदाकार फर्म को कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को मात्र वितरण का कार्य करना होगा।

2.4 कार्यक्रम के दौरान कार्ययोजना के मुताबिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का कम से कम 05 दक्ष कलाकारों के कला जत्था टीम के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना होगा।

(3) इम्पैनलमेंट हेतु निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन में जमा किया जाना है :–

3.1 निविदाकार फर्म का पंजीयन/गुमाश्ता लायसेंस होना अनिवार्य है। संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र/पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रतियां संलग्न करना है।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीकल बिड में पंजीयन प्रमाण पत्र/ARN की प्रति अपलोड करना होगा। परंतु फाईनेन्शियल बिड खोलने के पूर्व राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र

अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा संबंधित फर्म का फाईनेन्शियल बिड नही खोला जाएगा।

3.3 माह मार्च 2023 का जीएसटी R3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।

3.4 एकल स्वामित्व (Propritorship) संस्था को स्वामी(Propritor) के पैन कार्ड की छायाप्रति अपलोड करना है।

3.5 निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 5,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	**:**	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	**:**	**Axis Bank Ltd.**
Branch Name	**:**	**Pandri, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	**:**	**139010100021669**
IFSC Code No.	**:**	**UTIB0000139**

3.6 संस्था का वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–2022 एवं 2022–23 में औसतन राशि रु. 25 लाख का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है। चार्टड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित एवं यूडीआईएन उल्लेखित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना होगा।

3.7 Assessment Year 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के आयकर रिटर्न एकनॉलेजमेंट की प्रति अपलोड करना होगा।

3.8 कार्य से संबंधित अनुभव एवं प्रमाण के रुप में एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार–प्रसार संबंधित किसी भी शासन से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित फोटोग्राफ्स की प्रतियां अपलोड करना होगा।

(4) एल.ई.डी. (साईज 6'×8') माउन्टेड व्हीकल का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम दो वाहन होना अनिवार्य है एवं वाहनों का पंजीयन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं LED के देयक/दस्तावेज की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

4.2 पीए सिस्टम आहूजा/जेबीएल/यामाहा या इसी तरह के उच्च गुणवत्ता के कंपनी का कम से कम 1000 वाट का होना चाहिए।

4.3 कार्यक्रमों के घोषणा हेतु एम्लीफायर होना चाहिए।

4.4 वाहन में निरंतर बिजली आपूर्ति हेतु सांइलेट जनरेटर सेट होना अनिवार्य हैं।

4.5 वाहन में वीडियो इनपुट के स्रोत VGA, USB, HDMI या DTH लाईव वीडियो इनपुट होना चाहिए।

4.6 वाहन में वाहन चालक, एल.ई.डी.स्क्रीन एवं एल.ई.डी.स्क्रीन चलाने हेतु तकनीशियन, उद्घोषक का होना अनिवार्य है।

(5) कार्य का विवरण :–

5.1 एल.ई.डी.माउन्टेड व्हीकल एवं कला जत्था टीम के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न जिलों में हाट बाजार/ग्राम पंचायतो एवं विभिन्न स्थानों पर प्रचार–प्रसार करना।

5.2 एल.ई.डी.माउन्टेड व्हीकल में प्रचार/ब्रांडिंग आदि गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। इस हेतु ट्रैकिंग (वस्तुस्थिति) की जानकारी हेतु GPS सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल उपकरण जिसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्लीफायर, जनरेटर एवं एल.ई.डी.स्क्रीन (साईज 6'×8') वाहन में होना अनिवार्य है।

5.3 वाहन में प्रचार के दौरान फ्लैक्स का उपयोग करना होगा तथा सभी तरफ ब्रांडिंग का कार्य किया जाना है। फ्लैक्स राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना है। एल.ई.डी.स्क्रीन में प्रचार हेतु सीडी तथा फ्लैक्स की डिजाईन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रदान की जाएगी।

5.4 वाहन में प्रचार–प्रसार के पूर्व कार्यक्रम की घोषणा किया जाना होगा जिसमें माइक्रो फोन सिस्टम वाहन में होना अनिवार्य है।

5.5 छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।

LED configuration

Size	Minimum 6 x 8 feet
Specification	P6 SMD outdoor Full color RGB LED full waterproof
Pitch	10mm real pixel RGB
LED Standard	RGB Real Pixel
Working Temperature	45^{0}C or higher

(6) आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):–

किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

(7) सामान्य शर्तें :–

7.1 वाहन न्यूनतम (साइज 6'x8') की LED Mounted वाहन होनी चाहिए एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु साइलेंट जनरेटर सेट, 1000 वॉट आहूजा/जे.बी एल. /यामहा या समकक्ष का PA System से सुसज्जित होगी। वाहन का पंजीयन 3 वर्ष से ज्यादा पूरानी नहीं होगी। वाहन, शासन की विभिन्न योजनाओं का आकर्षक डिजाईनों एवं रंगों में मुद्रित फ्लैक्स से सुसज्जित होगी। प्रत्येक वाहनों में GPS System लगाकर समुचित Monitoring एक **"मोबाईल–ऐप"** के द्वारा वास्तविकता के आधार पर किया जाना होगा। **मोबाईल–ऐप** संबधित संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा। जिसके व्यय का अतिरिक्त भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा नही किया जाएगा। टेक्नीकल बिड में योग्य पाये गये फर्मों को LED Mounted Vehicle का प्रस्तुतीकरण डेमो वर्चुअल माध्यम से कराना होगा।

7.2 संस्था को निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर एवं GST के अतिरिक्त परिवहन व्यय लॉजिंग, बोर्डिंग,पीओएल, वाहन के रखरखाव, चिकित्सा व्यय या अन्य किसी खर्च की प्रतिपूर्ति नही किया जाएगा। सभी खर्च संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

7.3 वाहन, कला जत्था टीम के सदस्यों, धन, थर्ड पार्टी अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संस्था के स्वयं की होगी। छत्तीसगढ़ संवाद इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः संस्था को बीमा/अन्य आवश्यक सुरक्षा करनी होगी।

7.4 संस्था को कार्य के एवज में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पश्चात् फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विभागों को देयक भेजा जाएगा एवं विभागों से देयक का भुगतान प्राप्त होने पश्चात् ही फर्मों को भुगतान किया जाएगा।

7.5 संस्था द्वारा कार्य सम्पादन कर देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् GST अधिनियम अनुसार अगामी माह के नियत अवधि में GST जमा कर GSTR1 जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा GST Input Credit को Reverse कर देय ब्याज के साथ राशि संबन्धित फर्म के अन्य देयक/अमानत राशि से समायोजन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7.6 संपूर्ण कार्यक्रमों की फोटो और वीडियो फुटेज बनाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

7.7 प्रत्येक वाहन के साथ एक कला जत्था टीम होना अनिवार्य हैं।

7.8 यह निविदा मात्र दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित है। इम्पैनलमेंट फर्मो को आवश्यकतानुसार कार्य आबंटन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7.9 इम्पैनल्ड संस्था को कार्यादेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवाद के पास वाहन एवं अन्य साज-सज्जा के भौतिक सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7.10 इम्पैनल्ड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद के साथ रु.100/- के स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध में निविदा की शर्तो के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य शर्ते शामिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।

7.11 निविदा प्रपत्र जमा करने की नियत तिथि एवं समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा को अमान्य किया जाएगा।

7.12 निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।

7.13 निर्धारित प्रारूप में रू. 50/- का स्टाम्प पेपर में यह शपथ-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित फर्म किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, टेक्निकल बिड में प्रस्तुत सभी अभिलेख पूर्णतः सही है और सत्यापन के समय कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। शपथ पत्र ऑनलाईन जमा किया जाना है एवं मूल प्रति निविदा जमा करने की अंतिम तिथि समय अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय-तल में स्थित कक्ष क्र.SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।

7.14 निविदा प्रपत्र जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकार फर्मों को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है।

7.15 निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर, निर्धारित दरों में कार्य करने में सहमत फर्मों का पैनल तैयार किया जाएगा एवं पैनल के फर्मों से न्यूनतम निर्धारित दरों में कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा। न्यूनतम दर वाले फर्म को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

7.16 इम्पैनलमेंट हेतु योग्य पाए गए फर्मों को निविदा के न्यूनतम दर पर 2वर्ष के लिए अनुबंध निस्पादित करना होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुमोदित दर पर निविदा अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का होगा।

7.17 इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को तीन वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता है एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 10 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकता है।

7.18 व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी स्क्रीन वैन के द्वारा किए गए कार्यक्रम के सत्यापन हेतु इम्पैनल्ड एजेंसी को जिला जनसम्पर्क अधिकारी /जनपद पंचायत के सीईओ/संबंधित पंचायत के सरपंच/पंचायत सचिव से सम्पादित कार्यक्रम का सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथ पस्तुत करना होगा।

7.19 निष्पादित कार्य की समीक्षा पश्चात संबंधित इम्पैनल्ड एजेंसी द्वारा किए गए कार्य का आंकलन, परीक्षण और उपयोगिता के आधार पर जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा इनका सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार सत्यापन के पश्चात ही संबंधित एजेंसी को निविदा शर्तों के अनुसार तयशुदा राशि का भुगतान राशि देय होगी।

7.20 GPS based mobile application के माध्यम से वाहनों के प्रत्येक ट्रिप की वास्तविकता की monitoring की जावेगी, एवं उक्त बिन्दुओं में उल्लेखित सत्यापित प्रमाण–पत्रों के अतिरिक्त ऐप के डाटा के आधार पर गणना कर देयकों का भुगतान किया जावेगा।

(8) निर्देश :–

8.1 उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट www.cg.nic.in/samvad में होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर (छ.ग.)

Financial Bid Format

SN.	Activity	Descriptionu89	Rate quoted inclusive of all other expenses excluding GST	
			Rate per day	Rate Per month
1	LED mounted vehicle (Per day minimum 4 programme)	LED screen(p6) size 6x8 feet, equipped with GPRs system, Audio visual equipments and generators along with LED Screen, kala jattha team, LED technician, one anchor and driver with vehicle maintenance and lodging boarding, photography and video Footage CD, distribution of Brochure etc and including all other expenses. (Distribution material will be provided by Chhattisgarh Samvad/Clients)		
2	Vehicle POL per km rate (if per day vehicle run more than 100 K.M.)	Vehicle log book have to maintain and must be certified by authorized authority from Chhattisgarh Samvad.	Per K.m.	

Signature
Name & Designation
Seal of the Tenderer

चेकलिस्ट

1. निविदा प्रपत्र जमा शुल्क रू. 2,360/– की पावती
2. निविदा जमा अमानत राशि रु. 5,00,000/– की पावती
3. संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र/पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रतियॉ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ।
5. माह मार्च 2023 का जीएसटी R3B रिटर्न की प्रति।
6. एकल स्वामित्व (Propritorship) संस्था को स्वामी(Propritor) के पैन कार्ड की छायाप्रति अपलोड करना है।
7. Assessment Year 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के आयकर रिटर्न एकनॉलेजमेंट की प्रति
8. संस्था का वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–2022 एवं 2022–23 में औसतन राशि रु. 25 लाख का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है। चार्टड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित एवं यूडीआईएन उल्लेखित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र की प्रति
9. कार्य से संबंधित प्रमाण के रुप में एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार–प्रसार संबंधित किसी भी शासन से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित फोटोग्राफ्स की प्रति।
10. स्वयं के स्वामित्व के वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति
11. LED के देयक की प्रतियाँ
12. निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– का स्टाम्प पेपर में जमा सभी दस्तावेज सही होने तथा ब्लेकलिस्टेड के संबंध में शपथ–पत्र
13. अन्य दस्तावेज

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं———————————संस्था प्रमुख निवासी —————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ——————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ————————

दिनांक ———————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर